G6106

S.R.-II
MZN

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 987336

(1)

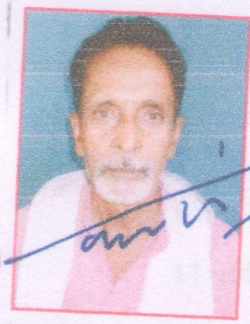

किराया नामा / LEASE- DEED

स्टाम्प शुल्क...600 / – रूपये

किराया...5 000 / – रूपये प्रति वर्ष

अवधि...25 वर्ष

हमकि श्री विरेन्द्र (AA-768014007859) व दुष्यन्तसिंह (AA-626969803804)

अमोल इंगले (Amol Ingle)
अभियांत्रिकी अधिकारी (रिटेल)
मेरठ रिटेल, टेरिटरी
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
मेरठ (उ०प्र०)

कुमार अविनाश

(2)

पुत्रगण श्री प्रहलादसिंह व **विश्वजीत (AA-222661859242)** पुत्र श्री तेजन्दर सिंह निवासीगण ग्राम बहेडी परगना चरथावल तहसील व जिला मुजफ्फरनगर **प्रथम पक्ष (सम्पत्ति स्वामी)** व **श्रीमती बीरमति** पत्नी श्री अनिल कुमार निवासी मौहल्ला अंकित विहार मुजफ्फरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर **द्वितीय पक्ष (किरायेदार)** है। जो कि प्रथम पक्ष सम्पत्ति निम्नलिखित का मालिक द्वारा विरासत से है तथा प्रथम पक्ष सम्पत्ति निम्नलिखित को किराये पर उठाना चाहता है और द्वितीय पक्ष सम्पत्ति निम्नलिखित को किराये पर लेना चाहता है। दोंनो पक्षो के मध्य निम्नलिखित शर्ते तय पायी है, जिनसे दोनो पक्ष स्वंय को तथा अपने–अपने वारसान पाबन्द करते है

1:– यह कि प्रथम पक्ष ने सम्पत्ति निम्नलिखित अंकन **5,000/– रूपये (पाँच हजार रूपये प्रति वर्ष)** द्वितीय पक्ष को किराये पर दी है और द्वितीय पक्ष ने सम्पत्ति निम्नलिखित अंकन **5,000/– रूपये प्रति वर्ष** प्रथम पक्ष से किराये पर ली है और बतौर किरायेदार कब्जा द्वितीय पक्ष का मौके पर करा दिया है।

2:– यह कि मियाद किरायेदारी पच्चीस वर्ष तक की तय पायी है जो दिनांक **11–09–2020ई0** से प्रारम्भ होकर दिनांक **10–09–2045 ई0** को समाप्त होगी।

3:– यह कि द्वितीय पक्ष सम्पत्ति निम्नलिखित को व्यापार (पैट्रोल पम्प इत्यादि) करने हेतु उपयोग मे लायेगे कोई भी नाजायज व्यापार किसी भी प्रकार का नही करेंगें तथा कोई मेजर अलट्रेशन नही करेंगे।

4:– यह कि द्वितीय पक्ष हर वर्ष पश्चात् प्रथम पक्ष के किराये की वार्षिक धनराशी

अमोल इंगले (Amol Ingle)
अभियांत्रिकी अधिकारी (रिटेल)
मेरठ रिटेल, टेरिटरी
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसरगंज, मेरठ (उ०प्र०)

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज

अंकन 5,000/— रूपये अदा करके रसीद प्राप्त करेंगे बिना रसीद कोई अदायगी मान्य नही होगी।

5:—यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा लगातार दो वर्ष तक किराया प्रथम पक्ष को अदा न करने की दशा मे द्वितीय पक्ष काबिले बेदखली होगा और ऐसी दशा मे प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि सम्पत्ति निम्नलिखित द्वितीय पक्ष के कब्जे व अधिकार से खाली करा लें।

6:— यह कि द्वितीय पक्ष को निम्नलिखित सम्पत्ति किसी भी वित्तीय संस्था या एन0 जी0 टी0 या किसी सरकारी या गैरसरकारी संस्था में किसी भी अनुमति या किसी तहरीर इत्यादि की आवश्यकता पडती है तो प्रथम पक्ष भी उसके लिए पूर्णतया पाबन्द होगा और प्रथम पक्ष की ओर ही द्वितीय पक्ष उक्त अनुमति सम्बन्धित संस्था को देना का पाबन्द होगा तथा द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह शिकमी किरोयदार रख सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को सब लीज करने का अधिकारी होगा इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नही होगी।

7:— यह कि किरायेदारी अवधि के दौरान हाऊस टैक्स व वाटर टैक्स एवं अन्य कोई टैक्स जो टाऊन ऐरिया इत्यादि की अदायगी की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष के जिम्मे होगी।

8:—यह कि किरायेदारी की अवधि के दौरान लिपाई, पुताई व अन्य जरूरी मरम्मत व निर्माण इत्यादि द्वितीय पक्ष अपने खर्चे से कराने का जिम्मेदार होगा।

9:—यह कि मियाद समाप्त होने पर द्वितीय पक्ष के लिये लाजिम होगा कि सम्पत्ति निम्नलिखित को अपने कब्जे से खाली करके उसी शक्ल मे जैसे आज प्राप्त की है प्रथम पक्ष को वास्तविक कब्जे व अधिकार मे दे देगा एवं दोनो पक्षो को अधिकार

29-12-20

अमोल इंगले (Amol Ingle)
अभियांत्रिकी अधिकारी (रिटेल)
मेरठ रिटेल, टेरिटरी
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

29-12-20

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)

होगा कि वह आपसी सहमति से किरायेदारी की अवधि बढा सकते है तथा पैट्रोल पम्प स्वीकृत होने पर किराये के विषय में पुर्नविचार करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। जो अन्य पंजीकृत अभिलेख द्वारा बढ़ाया जायेगा।

10:— यह कि उपरोक्त शर्ते दोनो पक्ष व वारसान पक्षगण पूर्णतया पाबन्द है और रहेंगे।

11:— यह कि प्रथम पक्ष किराये की धनराशि को चैक के माध्यम से या रसीद के माध्यम से प्राप्त करेगा।

अतः यह किरायानामा लिख दिया है कि प्रमाण रहे और काम आवे।इति।

विवरण सम्पत्ति स्थित :— **ग्राम बेगमपुर** परगना चरथावल तहसील व जिला मुजफ्फरनगर जो कि एक आहाता घिरा हुया है। जिसकी आराजी तहती की पैमाईश पूरब **35** मीटर पश्चिम **35** मीटर उत्तर **10** मीटर व दक्षिण **10** मीटर जुमला क्षेत्रफल **350** वर्गमीटर है। जिसकी सीमाए पूरब मे आहाता प्रथम पक्ष (जो द्वितीय पक्ष ने दिनांक 15—12—2018ई0 से लीज पर ली हुई है) पश्चिम मे भूमि प्रथम पक्ष, उत्तर मे सम्पत्ति भूषण आदि रोहाना वालों की , दक्षिण मे आहाता प्रथम पक्ष है। जो खसरा नम्बर **128** में स्थित है। जिसकी धारा 143 श्रीमान् उपजिलाधिकारी

Dushyant Tyagi

Vishwajeet Tyagi

Beens

अमोल इंगले (Amol Ingle)
अभियांत्रिकी अधिकारी (रिटेल)
मेरठ रिटेल, टेरिटरी
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसरगंज, मेरठ (उ०प्र०)

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ—250002 (उ0प्र0)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FM 444922

(5)

महोदय द्वारा वाद संख्या 20/06–07 में आदेश दिनांक 05–12–2006ई0 को अकृषिक घोषित हो चुकी है। मय जुमला हक व हकूक।

साक्षी....................

साक्षी.............................

Arun Kumar S/o
Kanwarpal Singh
Datiyana, MZN

तहरीर तारीख :– 11–09–2020 ई0।

ड्राफ्टकर्ता :– पंकज जिन्दल एडवोकेट तहसील सदर मुजफ्फरनगर।

अमोल इंगले (Amol Ingle) कुमार ...